झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् के द्वारा निर्गत किये जानेवाले अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं CTO के संबंध में विकास आयुक्त अध्यक्षता में दिनांक 12.05.2014 को विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थितिः– विवरणी संलग्न।

–: कार्यवाही :–

दिनांक 10.04.2014 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में विकास आयुक्त के द्वारा बिन्दुवार समीक्षा कर विचार–विमर्श के उपरान्त निम्नांकित निर्णय लिये गये :

क्र0	दिनांक 10.04.2014 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय	समीक्षा के क्रम में लिए गए निर्णय
1	2	3
1	प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के द्वारा online आवेदन software के संबंध में दिनांक 22 /23 अप्रैल 2014 को प्रस्तावित प्रशिक्षण के संबंध में कृत कार्रवाई	झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रशिक्षण समाप्त करा लिये जाने की सूचना दी गयी।
2	दिनांक 01 मई 2014 से online आवेदन प्राप्त किया जाने की प्रकिया शुरू किया जाना	प्रदूषण से संबंधित क्लियरेंश हेतु ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति के संबंध में विचार–विमर्श के उपरान्त आवेदन प्राप्त करने के संबंध में निम्नांकित निर्णय लिये गये :– 1. Online trial - **12.05.2014** 2. Formal launch – **19.05.2014** आवेदन प्राप्त करने हेतु समय –सीमा निम्नांकित रुप से निर्धारित की गयी : क– मध्यम एवं वृहत क्षेत्र की इकाई – **05 जून 2014** ख– सूक्ष्म एवं लघु क्षेत्र - **20 जून 2014** यह भी निर्णय लिया गया कि 01 जुलाई 2014 से मात्र ऑनलाईन आवेदन ही प्राप्त किए जाऐंगे।
3	झारखण्ड स्मॉल स्केल इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन एवं फेडरेशन ऑफ झारखण्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं अन्य औद्योगिक संघों को दिनांक 23.04.2014 को software के कार्य प्रणाली से अवगत कराने हेतु प्रस्तुतीकरण	एसोसिएशन एवं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के समक्ष ऑनलाईन software से संबंधित प्रस्तुतीकरण कर लिया गया है।

4	प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के द्वारा NOC एवं consent to operate के लंबित आवेदनों की अद्यतन स्थिति : *i.* 120 दिनों से अधिक से लंबित आवेदन *ii.* 90 दिनों से अधिक से लंबित आवेदन *ii.* 60 दिनों से अधिक से लंबित आवेदन तथा *iv.* 30 दिनों से अधिक से लंबित आवेदन	बैठक में प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् के द्वारा 01.04.2012 से 09.05.2012 के बीच निर्गत किए गए सी0टी0ओ0 के संबंध में सूचना दी गयी जिसकी स्थिति निम्नवत् है :- प्राप्त आवेदन – 297 | अस्वीकृत – 01 स्वीकृत – 08 | लंबित – 288 सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद विवरणी देने में शिथिलता बरत रहे हैं। इस संबंध में विकास आयुक्त के द्वारा बिन्दुवार आवेदन की स्थिति से संबंधित प्रतिवेदन एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने का निदेश किया गया।
5	अन्य राज्यों में प्रचलित व्यवस्था का अध्ययन कर feasible condition समावेश करने के संबंध में कृत कार्रवाई की सूचना	अन्य राज्यों में लागू feasible condition के समावेश के संबंध में प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् के अध्यक्ष के द्वारा सूचित किया गया कि on line हेतु तैयार किए गए software में अन्य राज्यों के द्वारा प्रदूषण के क्षेत्र में अपनायी जा रही best practices को समाहित कर तैयार किया गया है तथा 23.04.2014 को फेडरेशन एवं स्मॉल इण्ड0 एसो0 के पदाधिकारियों को NIC के प्रतिनिधियों द्वारा निराकरण कर दिया गया है। पुनः on line किए जाने के पूर्व दिनांक 16.05.2014 को एक बैठक संघों के साथ निर्धारित है। औद्योगिक संघ के द्वारा ऑनलाईन आवेदन प्रारम्भ किए जाने के उपरान्त पूर्व से निर्गत कन्सेंट टू ऑपरेट के लिए feasible conditions लागू करने के संबंध में विचार विमर्श के उपरान्त अध्यक्ष प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमसम्मत कार्रवाई का अनुरोध किया गया। उद्योग संघ के द्वारा रिफैक्ट्रीज उद्योग को निर्गत किये जानेवाले सी0टी0ओ0 में अंकित conditions के बारे में अध्यक्ष का ध्यान आकृष्ट किया गया तथा मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा अंकित किये जा रहे प्रावधानों को अंकित करने का अनुरोध अध्यक्ष से किया गया। विचार विमर्श के उपरान्त सी0टी0ओ0 में सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर के प्रावधानों के बदले जल संसाधन विभाग के निदेशालय के द्वारा ग्राउण्ड वाटर के संबंध में अंकित प्रावधानों को लागू किया जाने का अनुरोध अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् से किया गया।
6	कन्सेंट टू इस्टेब्लिश एवं कन्सेंट टू ऑपरेट की वैधता अवधि के संबंध में अनुपालन	अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् के द्वारा सभी तरह के उद्योगों के लिए 5 वर्षों के लिए सी0टी0ओ0 एक साथ निर्गत करने संबंधी अधिसूचना सं0 बी–15 दिनांक 10.05.2014 के द्वारा निर्गत कर दिया गया है।

7	प्रदूषण अधिनियम के violation से संबंधित जिलावार दायर किए गए मामलों की सूची	जिलावार प्रदूषण के violation से संबंधित मामलों की सूची उपलब्ध 15 दिनों में उपलब्ध करायी जाए एवं इन पर समयबद्ध नियम सम्मत तरीके से कार्रवाई की जाए।
8	प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के कार्यों के delegation के संबंध में	कन्सेंट टू इस्टेब्लिश निर्गत करने हेतु delegation के संबंध में निर्णय लिया गया कि वर्तमान में लागू व्यवस्था से संबंधित पत्र को सभी संबंधितों को परिचालित कर दिया जाय तथा नन रेड श्रेणी के उद्योगों को सी0टी0ओ0 क्षेत्रीय कार्यालयों के द्वारा निर्गत किए जाने का प्रावधान करने हेतु अनुरोध उद्योग संघ द्वारा किया गया। अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् से पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का भ्रमण कर स्टडी करने हेतु एक दल भेज कर क्षेत्रीय कार्यालयों को शक्ति delegation पर विचार करें।
9	औद्योगिक संघ के द्वारा प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के द्वारा compedium तैयार किए जाने की अद्यतन स्थिति	अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा तैयार किए गए Jharkhand Environment Diary 2014 तैयार किए जाने की सूचना दी गयी जिसमें प्रदूषण से संबंधित उद्योगों के स्थापना हेतु झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्गत आवश्यक निदेश संकलित है।
10	अन्य राज्यों के द्वारा कन्सेंट टू ऑपरेट में किए गए प्रावधानों की तुलनात्मक विवरणी तैयार कर प्रदूषण नियंत्रण पर्षद को एवं निदेशक, उद्योग को उपलब्ध कराने के संबंध में कृत कार्रवाई	विवरणी निदेशक, उद्योग को उपलब्ध करा दी जाए।
11	औद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित उद्योग के प्रस्ताव पर विचारार्थ गठित PCC में सहमति के आधार पर NOC निर्गत करने संबंधी कृत कार्रवाई	औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित होनेवाले एवं स्थापित पुराने उद्योगों के NOC एवं CTO के वर्षों तक लम्बित रहने पर चिन्ता व्यक्त की गयी। सचिव, उद्योग के द्वारा कई उद्योगों के मामले में लम्बी अवधि तक CTO निर्गत नहीं किए जाने के संबंध में उल्लेख किया गया। विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि औद्योगिक क्षेत्र के लम्बित आवेदनों की स्थिति प्राप्त कर यथाशीघ्र disposal प्रदूषण बोर्ड के द्वारा करायी जाए। औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग स्थापना हेतु आयोजित PCC की बैठक में झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् के प्रतिनिधि रहते हैं। अतः NOC निर्गत करने में विलंब न हो यह सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 30.06.2014 तक delegation से संबंधित निर्णय ले लिए जाने का अनुरोध किया गया। इसे अगली बैठक के पूर्व संशोधित किया जाए।

12	औद्योगिक क्षेत्रों के लिए उद्योगों को निर्गत किए जानेवाले NOC एवं consent to operate से संबंधित सरल प्रस्ताव तैयार किया जाना	औद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित होने वाले उद्योग के लिए निर्गत किए जानेवाले NOC एवं CTO के लिए क्षेत्रीय कार्यालय को प्राधिकृत करने हेतु अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् नियम सम्मत कार्रवाई करें।
13	प्रदूषण नियंत्रण एक्ट में अंकित प्रावधानों के कम में अनुपालन हेतु रिटर्न रिपोर्ट के संबंध में वन एवं पर्यावरण विभाग का मंतव्य	वन एवं पर्यावरण को वित्तीय वर्ष 2012–13 का वार्षिक प्रतिवेदन पूर्व से ही समर्पित किए जाने एवं 2013–14 का प्रतिवेदन तैयार किए जाने की सूचना दी गयी। प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध करावें।
14	अन्य क्षेत्रों में CETP/HWMF की स्थापना हेतु कृत कार्रवाई	विकास आयुक्त के द्वारा पिछली बैठक में उपलब्ध कराए गए कागजातों के आधार पर कृत कार्रवाई से अवगत कराने के अनुरोध के कम में सदस्य सचिव के द्वारा सूचित किया गया कि राँची के समीप नगड़ी में तीन राईस मिल मिलकर एक CETP का निर्माण कर रहे हैं। यह भी सूचित किया गया कि राज्य में अन्य स्थानों में CETP/HWMF की स्थापना हेतु समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित कर परामर्शी का चयन अगली बैठक के पूर्व कर लिया जाएगा।
15	तकनीकी विशेषज्ञ का सहयोग लिया जाना	विज्ञापन प्रकाशित करने की कार्रवाई की जा रही है।
16	अन्यान्य निर्णय	(i) कैम्प आयोजित कर Consent to operate के लंबित मामलों का निष्पादन किया जाए। इस संबंध में निर्णय 16 मई 2014 को आयोजित बैठक में निर्णय लेकर झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा तैयार कर लिया जाए। (ii) राईस मिल आधारित प्रदूषण से संबंधित एक प्रतिवेदन झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा तैयार कराया जाए। (iii) ग्रीन कैटेगोरी में रू० 50.00 लाख प्लांट एवं मशीनरी के पूंजीनिवेश के आधार पर exemption पर पुनर्विचार हेतु अन्य राज्यों के द्वारा किए गए प्रावधान का अध्ययन किया जाए। (iv) झारखण्ड स्मॉल इण्ड० एसोसिएशन के पत्रांक 23 दिनांक 10.05.2014 में कंडिका (g) (5) पृष्ट 2 का (a) में अंकित तथ्यों को अंकित करते हुए कन्सेंट टू ऑपरेट निर्गत किए जाने को उपयुक्त नहीं बताया गया। अतः इसका गहन अध्ययन कर विधि सम्मत कार्रवाई प्रदूषण पर्षद करें।

अगली बैठक **दिनांक 17 जून, 2014 को पूर्वाह्न 11.30 बजे** निर्धारित की गयी।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी।

ह0/

विकास आयुक्त

झारखण्ड सरकार
उद्योग निदेशालय

ज्ञापांक 1519 /राँची, दिनांक 07/06/2014
09/उ0नि0अनुदान मेगा प्रो0 बैठक–01/2008 (खण्ड-I)

प्रतिलिपिः विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव, झारखण्ड, राँची/विशेष सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड, राँची/निदेशक, उद्योग के निजी सहायक, उद्योग निदेशालय, झारखण्ड, राँची/सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, धुर्वा, राँची/अध्यक्ष, झारखण्ड फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्ड0, राँची/अध्यक्ष, झारखण्ड स्मॉल स्केल इण्ड0 एसोसिएशन, राँची को निदेशानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दीपंकर पण्डा)
निदेशक, उद्योग